



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 59 राँची, गुरुवार,

2 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-63/2022-18774 (HRMS)—मो० जफर हसनात, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), अंचल अधिकारी, चान्हों, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 4494(9)/रा०, दिनांक 19.12.2022 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1797/स्था०, दिनांक 16.12.2022 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध चान्हों अंचल अन्तर्गत मौजा-रानीचाचो, थाना नं०-86, खाता नं०-143, प्लॉट सं०-1159 कुल रकबा- 35 एकड़ कपटपूर्ण तरीके से क्रय की गई भूमि के बिक्रय दस्तावेजों को रद्द करने संबंधी आवेदन पत्र पर प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराये जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है ।

2. मो० हसनात के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में मो० हसनात का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में मो० हसनात को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F). No.	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	MD. JAFAR HASNAT (JHK/JAS/312)	मो० जफर हसनात, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), अंचल अधिकारी, चान्हों, राँची को निलंबित किया जाता है।	29/12/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
